UPEW010069762025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा ।

विशेष वाद संख्या–05/2025

राज्य बनाम अभयराम उर्फ टुण्डे

मु०अ०संख्या–84/2011

धारा–392,411 भा०द०संहिता।

थाना–वैदपुरा ,जिला–इटावा।

दिनांक–30.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अभयराम उर्फ टुण्डे अनुपस्थित। पत्रावली साक्ष्य अन्तर्गत धारा–335 बी०एन०एस०एस०(धारा–299 द० प्र०संहिता)हेतु नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि थाना वैदपुरा जिला इटावा की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण अभयराम उर्फ टुण्डे व चन्दन सिंह के विरूद्ध मु०अ०सं०–84/2011 अन्तर्गत धारा–392,411 भा०द०संहिता में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया,जोकि विशेष वाद संख्या–121/2012 राज्य बनाम अभयराम उर्फ टुण्डे आदि के रूप में दर्ज हुयी। यह भी दर्शित उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये। मूल पत्रावली में अभियुक्त अभयराम उर्फ टुण्डे विगत काफी समय से अनुपस्थित चल रहा था और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु उसके विरूद्ध बिना जमानतीय अधिपत्र के साथ धारा–82/83 द०प्र० संहिता के प्रोसेस जारी किये गये। आदेशपत्रक के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अभियुक्त उपरोक्त से सम्बन्धित एक अन्य विशेष वाद संख्या–93/2010 में प्राप्त आख्याओं के आधार पर अभियुक्त को फरार अपराधी घोषित करते हुये उसकी पत्रावली पृथक किये जाने का आदेश पारित किया गया व प्रकरण के सम्बन्ध में एस०आई०आलमगीर का साक्ष्य

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.05.30 11:26:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भी अंकित किया जा चुका है। इसी आधार पर विशेष वाद संख्या–121/2012 में अभियुक्त अभयराम उर्फ टुण्डे के अनुपस्थित रहने के कारण अभियुक्त को फरार घोषित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि मूल पत्रावली विशेष वाद संख्या–121/2012 राज्य बनाम अभयराम उर्फ टुण्डे आदि में आदेश दिनांकित 14.10.2025 के तहत अभियुक्त अभयराम उर्फ टुण्डे की पत्रावली पृथक किये जाने का आदेश पारित किया गया है,जोकि विशेष वाद संख्या–05/2025 के रूप में दर्ज हुयी। अभियुक्त विगत कई वर्षों से अनुपस्थित है। थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया है,परन्तु अभियुक्त का कुछ भी पता नहीं चल सका।न्यायालय द्वारा अभियुक्त को फरार घोषित किया जा चुका है। आज पत्रावली अभियोजन साक्ष्य अन्तर्गत धारा–335 बी० एन० एस० एस०(धारा–299 द०प्र०संहिता)हेतु नियत है। अभियोजन की ओर से कोई साक्षी उपस्थित नहीं है। अभियोजन की ओर से आदेशपत्रक पर यह अंकन किया गया कि एस०आई०आलमगीर का साक्ष्य अंकित किया जा चुका है। इस स्तर पर अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करनी है। मामला अत्यन्त पुराना है। अभियुक्त कई वर्षों से अनुपस्थित हैं। अभियुक्त के निकट भविष्य में गिरफ्तार किये जाने की कोई संभावना प्रकट नहीं हो रही है।

अतः ऐसी स्थिति में **अभियुक्त अभयराम उर्फ टुण्डे के विरुद्ध स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट जारी हो। अभियुक्त का नाम थाने की भगौड़ा रजिस्टर में दर्ज हो। इस संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष को पत्र लिखा जाए। कार्यालय लिपिक उपरोक्त के संबंध में कार्यवाही करें।**

यह पत्रावली इस निर्देश के साथ दाखिल अभिलेखागार हो कि इसका रिकार्ड कभी विनिष्ट न किया जाए तथा अभियुक्त **अभयराम उर्फ टुण्डे** के कभी निकट भविष्य में कभी भी हाजिर होने पर अथवा उसके गिरफ्तार होने पर न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर यह पत्रावली न्यायालय को वापस भेजी जाएगी।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।
J.O.Code No–1546